कुमली वगैरह बनाम उमन्ती वगैरह

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मु.नं. 81/2024	

23/1/24
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई आदेश की पालना में दिनांक 2/1/26 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

2/1/26
पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० वास्ते जवाब प्रा.पत्र एवं तलबी अप्रार्थी सं. 3 की जाकर पत्रावली दिनांक 5/1/26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

5/1/26
पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। प्रा. पत्र धारा 151 का जवाब पेश नहीं हुआ। बहस प्रा. पत्र की गयी। प्रार्थी का कथन है कि खसरा नं. 92 की भूमि ग्राम श्यालावास में स्थित है। प्रार्थी ने अप्रार्थी का बाहर रहने का फायदा उठाकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिखा है जबकि अप्रार्थी की भूमि से वादी का कोई अधिकार नहीं है। प्रा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रा. पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 2 के खातेदारी भूमि से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वेकेट दिया जावे। उक्त प्रा. पत्र का जवाब पेश नहीं हुआ पत्रावली का अवलोकन किया गया।

लगातार

कमला वगै. वि. उगन्ती देवी नं. I 81/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नाम अहलकार हुक्म में
	~~खु~~ ग्राम श्यालावास कलां के खातासं. नया 193 पुराना 48 के खसरा नं. 12 ~~के~~ प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज है। मूल वाद घोषणा खातेदारी व दुरुस्ती इन्द्राज का है। जिसका निस्तारण पर्याप्त साक्ष्य /सबूतों के आधार पर दावा पत्रावली में किया जाना है। भूमि खसरा नं. 12 अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी भूमि है। किसी खातेदार को उसके आराजी में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है। वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 12 अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी होने से अपूरणीय क्षति ~~होने से~~ वादीगण / ~~अ~~प्रार्थीगण को होना संभव नहीं है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर पेश प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया जाकर प्रकरण में दिनांक 28/6/25 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम को वैकेट किया जाता है। प्रकरण बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

[signature] 05/1/26
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner